



Neutral Citation No. -2026:AHC:4928

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3877 वर्ष 2025

श्रीमती फूल कुमारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचीगण के अधिवक्ता : मयंक शेखर सिंह, शालिनी सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री शालिनी सिंह, राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(ए) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 (तहसीलदार, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर) को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत वाद संख्या 5800/2022 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202214360305800 में पारित दिनांक 17.07.2025 के आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर मौके पर निष्पादित करने का निर्देश/आदेश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत निजी प्रतिवादी के खिलाफ तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 17.07.2025 के बेदखली और हर्जाने के आदेश के बावजूद, आदेश को मौके पर प्रभावी नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और हर्जाने के आदेश के अनुसरण में, विचाराधीन भूखंड से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना चाहिए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत बेदखली और हर्जाने का आदेश विचाराधीन भूखंड के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है।

6. पैरा-460, उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के अंतर्गत, तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.07.2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अतः उक्त आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए प्रस्तुत यह जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह जनहित याचिका इस अवलोकन के साथ **खारिज की जाती है** कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 460 के तहत निर्धारित अंतिम आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए उचित कार्यवाही कानून के अनुसार शुरू की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी, 2026

पीएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।